REGD. NO. D. L.-33004/99

रजिस्टी सं० डी० एल०-33004/99



असाधारण

EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

पाधिकार से पकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2501]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 5, 2018/आषाढ़ 14, 1940
No. 2501]	NEW DELHI, THURSDAY, JULY 5, 2018/ASHADHA 14, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2018

का.आ. 3255(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को तत्संबंधी तदनुरूपी स्तम्भ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है ।

उक्त राजमार्गों, जिन्हें इस अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को तालिका के क्रमश: स्तम्भ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया समझा जाएगा ।

तालका			
क्र. सं.	नई रारा सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण	
(1)	(2)	(3)	
531	701ए	जम्मू और कश्मीर राज्य में बारामूला के निकट रारा-1 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर गुलमर्ग में समाप्त होने वाला राजमार्ग ।	

[फा.सं. एनएच-14012/5/2018-पी एंड एम](पार्ट)] राजेश गुप्ता,उप सचिव

पाद टिप्पण : राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और तत्संबंधी अनुसूची, भारत के राजपत्र में एस.आर.ओ. 1180 दिनांकित 4 अप्रैल, 1957 के तहत प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और पिछली बार संशोधन अधिसूचना सं. 2943(अ), दिनांकित 19 जून, 2018 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th July, 2018

S.O. 3255(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby declares each of the highways specified in the column (3) of the Table below to be a national highway, as specified in the corresponding column (2) thereof.

The highways, now declared to be national highways by this notification, shall be deemed to be inserted in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the Table.

TABLE

Serial No.	New National Highway	Description of National Highways
	No.	
(1)	(2)	(3)
531	701A	The highway starting from its junction with NH-1 near Baramula and terminating at Gulmarg in the state of Jammu and Kashmir.

[F. No. NH-14012/5/2018-P&M] (pt)] RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Footnote:-The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India vide notification number S.R.O. 1180 dated 4th April, 1957 and was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4th April, 2011 and last amended vide notification number S.O. 2943 (E), dated 19th June , 2018